न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (जिला चूरू)

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या 22/21

अनुवान बंशीलाल बनाम राजस्थान राज्य

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट

एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

निर्णय दिनांक 22.03.2021

बंशीलाल पुत्र प्रवीण कुमार जाति जाट निवासी भानीपुरा तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

–वादी–

<u>बनाम्</u>

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरू

–प्रतिवादी–

उपस्थितिः

1. एडवोकेट श्री महेन्द्र कुमार सींवर वास्ते वादी।
2. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते प्रतिवादी।

<u>निर्णय</u>

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की तन्हा खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0 नं0 267 रकबा 1.9700 हैक्टेयर रोही मौजा हालासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान में अवस्थित है। वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम भंवरलाल अशुद्ध दर्ज है। जबकि वादी के पिता का नाम शुद्ध नाम प्रवीण कुमार है। वादगत कृषि भूमि में वादी के पिता का नाम प्रवीण कुमार के स्थान पर भंवरलाल सहबन से रही त्रुटिवश अशुद्ध दर्ज कर दिया गया। वादी के दादा शिवनारायण के भंवरलाल नाम की कोई संतान नहीं है। उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के दो भिन्न–भिन्न नाम हैं। वादी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अशुद्ध है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी अपने पिता का नाम शुद्ध करवाने की घोषणा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड शुद्ध दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी के पिता का नाम वादी के आधार कार्ड, पेनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, राशन कार्ड, बैंक पास बुक, सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र तथा वादी के पिता के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, पेन कार्ड, जॉब कार्ड, वादी के दादा के

शपथ पत्र आदि दस्तावेजों में प्रवीण कुमार अंकित है। जो कि सत्य व सही है। भंवरलाल नाम वादी के वादगत अभिलेख के अतिरिक्त कहीं भी अंकित नहीं है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों में गलत दर्ज वादी के पिता का नाम शुद्धिकरण किये जाने योग्य है। वादी के पिता का वास्तविक नाम प्रवीण कुमार है जबकि राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में भंवरलाल अंकित होने से वादी को विभिन्न सरकारी योजनाओं व अन्य कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में अलग–अलग नाम होने से कई कानूनी पेचिदगियों का सामना वादी को करना पड़ता है। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि राजस्व रेकॉर्ड में भूलवश दर्ज नाम भंवरलाल के स्थान पर सही नाम प्रवीण कुमार दर्ज करवाये जिसके लिए यह दावा वादी की ओर से प्रस्तुत किया है।

वादी ने कभी अपनी कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का पता नहीं किया। अब राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां हल्का पटवारी से प्राप्त की तो वादी को इस अशुद्ध राजस्व रिकॉर्ड का पता चला। इस कारण राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त करने से दावा अन्दर मियाद पेश है। राजस्व रिकॉर्ड की नकले हासिल करके वादी प्रतिवादी से मिला और इस गलत राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादी के पिता का नाम भंवरलाल के स्थान पर सही नाम प्रवीण कुमार दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने कहा कि SDO साहब के यहां कार्यवाही करो। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा इन्कार करने से दावा प्रस्तुत करने का कारण व दावा प्रस्तुत का हैतुक वादी की खातेदारी कृषि भूमि होने से है। वादगत कृषि भूमि ग्राम हालासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू में स्थित होने से दावा हाजा के सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है।

वादी ने वाद पेश कर कृषि भूमि ख0 नं0 267 रकबा 1.9700 हैक्टेयर रोही मौजा हालासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम भंवरलाल अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी के पिता का सही नाम प्रवीण कुमार दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

वाद पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। राज पैरोकार उपस्थित आये एवं जबाब दावा पेश किया जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम भंवरलाल अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी के पिता का सही नाम प्रवीण कुमार घोषित किया जाता है तो राज्य पक्ष ने ऐतराज नहीं होना जाहिर किया है। इसके अलावा सरपंच ग्राम पंचायत भानीपुरा ने भी इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया हैं कि प्रवीण कुमार व भंवरलाल एक ही व्यक्ति हैं।

वादी द्वारा साक्ष्यवादी में निम्नांकित प्रदर्श प्रस्तुत किये गयें–

1. जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 खसरा नम्बर 267 की छायाप्रति।
2. पैन कार्ड की छायाप्रति (बंशी लाल हुड्डा, प्रवीण कुमार हुड्डा)।
3. मतदाता फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति।
4. आधार कार्ड की छायाप्रति (बंशी लाल हुड्डा, चावली देवी, प्रवीण कुमार हुड्डा)।

5. वादी के ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति।
6. राशन कार्ड की छायाप्रति (बंशी लाल हुड्डा, प्रवीण कुमार)।
7. बैंक पास–बुक की छायाप्रति (बंशी लाल हुड्डा, प्रवीण कुमार हुड्डा)।
8. ट्रांस्फर सर्टिफिकेट की छायाप्रति।
9. जॉब कार्ड की छायाप्रति।
10. कार्यालय ग्राम पंचायत भानीपुरा द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात, शपथ पत्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उभय पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया जिससे यह सामने आया कि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम प्रवीण कुमार अंकित है। इसके अलावा वादी के पिता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार उसका सही नाम प्रवीण कुमार हैं। प्रवीण कुमार के पिता श्री शिवनारायण द्वारा भी शपथ–पत्र पेश कर जाहिर किया गया कि मेरे तीन पुत्र संतान है प्रवीण कुमार, श्यामलाल व मेघाराम हैं।

अतः वर्णित विवेचन से वाद पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता हैं अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि ख0 नं0 267 रकबा 1.9700 हैक्टेयर रोही मौजा हालासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम भंवरलाल अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी के पिता का सही नाम प्रवीण कुमार उर्फ भंवरलाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं। पर्चा डीक्री जारी हो।

क. सं.	ग्राम	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
1.	हालासर	267	भंवरलाल	प्रवीण कुमार उर्फ भंवरलाल

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D')
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर. ए. एस.)
वादपत्र संख्या 22/21
अनुवान बंशीलाल बनाम राजस्थान राज्य
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट
एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री महेन्द्र कुमार सींवर एडवोकेट एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि ख0 नं0 267 रकबा 1.9700 हैक्टेयर रोही मौजा हालासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम भंवरलाल अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादी के पिता का सही नाम प्रवीण कुमार उर्फ भंवरलाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं।

....

.....बीज.....................................मुबलि ....बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 03 सन् 2021 को जारी की गई।

दस्तखत...................

मुहर

ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	05	00	मिजान	00	00